न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवरिया

प्रशासनिक प्रस्ताव आदेश संख्याः /2024/दिनांकः 06 जनवरी, 2024

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार न्यायालय अपर सिविल जज,जू0 डि0/एफ.टी.सी0 प्रथम व द्वितीय में नव नियुक्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण द्वारा दिनांक 05-01-2024 को कार्यभार ग्रहण किया गया है। वर्तमान में उक्त मजिस्ट्रेटगण के लम्बी अवधि तक न्यायिक प्रशिक्षण कार्य में व्यस्त रहने के कारण तथा अपर सिविल जज,जू0 डि0/एफ.टी.सी. प्रथम/न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुश्री स्नेहा सिंह-द्वितीय द्वारा न्यायालय अपर सिविल जज,जू0 डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0-20, देवरिया व अपर सिविल जज,जू0 डि0/एफ.टी.सी. द्वितीय/न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री सक्षम शेखर द्वारा न्यायालय अपर सिविल जज,जू0 डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0-12, देवरिया में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त वर्तमान में उत्पन्न नवीन परिस्थितियों के आलोक में माननीय जनपद न्यायाधीश देवरिया से विचार विमर्श के उपरान्त फौजदारी मामलों के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी पूर्व में पारित प्रशासनिक आदेशों के अतिरिक्त, फौजदारी मामलों के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निम्नवत अतिरिक्त आदेश पारित किया जाता हैः-

1- न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-11 देवरिया से **थाना-गौरीबाजार तथा थाना रामपुर कारखाना** जो पूर्व में प्रदत्त था, से सम्बन्धित समस्त लम्बित एवं नवीन संस्थित होने वाले घरेलू हिंसा के वादों की सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार वापस लेकर न्यायालय **सिविल जज,सी0 डि0/एफ.टी.सी. प्रथम/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,** देवरिया को प्रदान किया जाता है।

2- न्यायालय अपर सिविल जज,जू0 डि0/एफ 0 टी0 सी0 प्रथम/ न्यायिक मजिस्ट्रेट देवरिया से **थाना-महुआडीह** तथा न्यायालय सिविल जज,सी0 डि0/एफ.टी.सी. द्वितीय/ न्यायिक मजिस्ट्रेट से **थाना-रूद्रपुर** का सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार (जो पूर्व में प्रदत्त था)उक्त न्यायालयों से वापस लेकर न्यायालय अपर सिविल जज, (जू0 डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0-12 देवरिया को प्रदान किया जाता है।

3- न्यायालय अपर सिविल जज,जू0 डि0/एफ 0 टी0 सी0 प्रथम देवरिया/ न्यायिक मजिस्ट्रेट से **थाना-बनकटा व थाना गौरीबाजार** से सम्बन्धित पूर्व संस्थित एवं नवीन परिवाद का क्षेत्राधिकार वापस लेते हुए उसकी सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार (जो पूर्व में प्रदत्त था) न्यायालय अपर सिविल जज, (जू0 डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0-20 देवरिया को प्रदान किया जाता है।

नोटः- पूर्व में शेष फौजदारी मामलों के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में पारित आदेश पूर्ववत रहेगाः-

(मंजू कुमारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देवरिया

दिनांक/देवरिया
जनवरी 06, 2024

नोटः- उक्त प्रशासनिक आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा। सभी सम्बन्धित न्यायालयों के लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वे समस्त पत्रावलियों को सम्बन्धित न्यायालय में **भौतिक रूप से अधिकतम 10 दिन के अन्दर** नियमानुसार प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें एवं उन्हे **एन.जे.डी.जी** पर भी सम्बन्धित न्यायालय में अन्तरित करना सुनिश्चित करें।